न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
54 / 19	27.05.2019	27 .09.2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

1. कुशल बिहारी विजय आत्मज बृजबिहारी
2. किशन बिहारी विजय आत्मज बृजबिहारी
3. दीपिका विजय पुत्री बृजबिहारी जाति महाजन निवासीगण नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

– वादीगण

बनाम

1. बृजबिहारी आत्मज धन्नालाल जाति महाजन निवासी नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

उपस्थित – श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट वादीगण की ओर से

– श्री ओमप्रकाश सोनी एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम नोताडा तहसील दीगोद में खाता नं0 302 पर ख0नं0 1231 रकबा 1.28 हे0, ख0नं0 1261 रकबा 0.87 हे0, ख0नं0 1311 रकबा 0.24 हे0, ख0नं0 1312 रकबा 0.52 हे0, ख0नं0 1321 पूर्व रकबा 0.50 हे0 कुल किता 5 रकबा 3.41 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 के खातें व कब्जें काश्त स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 को विरासत में अपनें पिता धन्नालाल से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है तथा उक्त भूमि में वादीगण अपनें निहित हिस्से के सहखातेदार घोषित होनें के अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 1 अपनी खातेदारी की उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों के बहकावें में आकर खुद

Scanned by CamScanner

बुर्द करने एवं वादीगण को उक्त भूमि से वंचित करनें पर आमादा है, जिसका प्रतिवादी नं0 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण को विधिक अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय की सहायता से उपरोक्त वर्णित भूमि में निहित अपनें हिस्से 1/4–1/4 प्रत्येक को सहखातेदार घोषित करवा सके। वाद कारण दिनांक 13.05.19 को प्रतिवादी नं0 1 द्वारा विवादित भूमि में वादीगण का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज करवानें से मना करनें एवं प्रतिवादी नं0 1 द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, बैचान करनें की धमकी देनें से उत्पन्न हुआ।

वाद पेश कर वादीगण ने निवेदन किया है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम नोताडा तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 302 पर ख0नं0 1231 रकबा 1.28 हे0, ख0नं0 1261 रकबा 0.87 हे0, ख0नं0 1311 रकबा 0.24 हे0, ख0नं0 1312 रकबा 0.52 हे0, ख0नं0 1321 पूर्व रकबा 0.50 हे0 कुल किता 5 रकबा 3.41 हे0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 को प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी नं0 2 को आदेश दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्ततु करें। वादीगण को प्रतिवादीगण से मुकदमें का खर्चा दिलाया जावें। वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावें।

वादीगण की ओर से साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम नोताडा सं0 2071–74 खाता नं0 302
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम नोताडा सं0 2067–70 खाता नं0 286
3. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम नोताडा सं0 2063–66 खाता नं0 266
4. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम नोताडा सं0 2055–58 खाता नं0 151

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश सोनी का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी नं0 1 ने प्रकरण में इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जानें का निवेदन किया। दौरानें वाद उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया, राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष नें कथन किये कि "उपरोक्त वाद में पक्षकारान् के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। वादीगण प्रतिवादी नं0 1 के विधिक उत्तराधिकारी है, जिसके तहत विवादित आराज वाके ग्राम नोताडा की 3.41 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जानें तथा प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करनें की सहमति बनी और सभी वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 शामलाती रूप से

Scanned by CamScanner

काबिज हो गये। उपरोक्तानुसार राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष नें निवेदन किया कि राजीनामा तस्दीक किया जाकर दावा वादीगण बरूये राजीनामा डिक्री किये जानें की आज्ञा प्रदान की जावें।

उभयपक्ष को राजीनामा प्रस्तुत करनें पर राजीनामा पढकर सुनाया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष नें सहमति प्रकट करते हुए सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये है। वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री अनिल खण्डेलवाल एवं प्रतिवादी नं0 1 की पहचान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सोनी द्वारा प्रमाणित की गई।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर प्रकरणाधीन भूमि के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। विवादित भूमि प्रतिवादी नं0 1 को अपनें पिता धन्नालाल से विरासत में प्राप्त हुई है, जो पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सं0 2055–58 से साबित होता है। बाद विभाजन उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के सेपरेट खातें में दर्ज हुई है। इस प्रकार प्रकरण में विवादित भूमि पुश्तेनी भूमि होना प्रमाणित है। चूंकि प्रकरण पिता एवं संतानों के मध्य पुश्तेनी भूमि में घोषणा को लेकर जैरकार है। प्रस्तुत प्रकरण पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में विचारण करनें के उपरान्त संतान का अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में जन्म से ही स्वत्व निर्धारित हो जानें की अवधारणा है। जिससे वादीगण अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में अपनें स्वत्वों की घोषणा करवानें के अधिकारी प्रतीत होते है तथा राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जानें योग्य है।

परिणामत: वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम नोताडा तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 302 पर ख0नं0 1231 रकबा 1.28 हे0, ख0नं0 1261 रकबा 0.87 हे0, ख0नं0 1311 रकबा 0.24 हे0, ख0नं0 1312 रकबा 0.52 हे0, ख0नं0 1321 रकबा 0.50 हे0 कुल किता 5 रकबा 3.41 हे0 भूमि में वादीगण क्रमशः कुशल बिहारी विजय, किशन बिहारी विजय पुत्रान बृजबिहारी दीपिका विजय पुत्री बृजबिहारी व प्रतिवादी नं0 1 बृजबिहारी प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 27/09/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. कुशल बिहारी विजय आत्मज बृजविहारी
2. किशन बिहारी विजय आत्मज बृजविहारी
3. दीपिका विजय पुत्री बृजविहारी जाति महाजन निवासीगण नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

– वादीगण

बनाम

1. बृजबिहारी आत्मज धन्नालाल जाति महाजन निवासी नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–54/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–व–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट मिनजानिब मुददई रुबरु मिनजानिब श्री ओमप्रकाश सोनी एडवोकेट मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम नोताडा तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 302 पर ख0न0 1231 रकबा 1.28 हे0, ख0नं0 1261 रकबा 0.87 हे0, ख0नं0 1311 रकबा 0.24 हे0, ख0नं0 1312 रकबा 0.52 हे0, ख0नं0 1321 रकबा 0.50 हे0 कुल किता 5 रकबा 3.41 हे0 भूमि में वादीगण क्रमशः कुशल बिहारी विजय, किशन बिहारी विजय पुत्रान बृजबिहारी दीपिका विजय पुत्री बृजबिहारी व प्रतिवादी नं0 1 बृजबिहारी प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्स का खातेदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 27.09.2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0

Scanned by CamScanner

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner